सार्वजनिक निविदा सूचना।

नगर निगम देहरादून क्षेत्रान्तर्गत स्थित केदारपुरम् व्यवसायिक योजना के अन्तर्गत निर्मित दुकानों को प्रीमियम के आधार पर आबंटन करने हेतु निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 23/12/21 की अपरान्ह 2.00 बजे तक सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र एवं शर्ते निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 22/12/21 तक किसी भी कार्यदिवस में निर्धारित शुल्क जमा कराने के उपरान्त नगर निगम कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। निविदा दिनांक 23/12/21 को सांय 4.00 बजे गठित निविदा समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा सम्बन्धी विवरण नगर निगम की वेबसाईट www.nagarnigamdehradun.com पर भी उपलब्ध है।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

कार्यालय नगर निगम, देहरादून।

पत्रांकः–529/भूमि–2021,
दिनांकः–2/12/2021

प्रतिलिपिः–

1. सम्पादक ,राष्ट्रीय सहारा हन्दी दैनिक समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन उत्तराखण्ड संस्करण के आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
2. सम्पादक द पाईनियर अंग्रेजी समाचार पत्र को इस आशय से प्रेषित कि वह उपरोक्त निविदा सूचना का प्रकाशन उत्तराखण्ड संस्करण के आगामी अंक में कराते हुए समाचार पत्र की दो प्रतियां निशुल्क इस कार्यालय को प्रेषित करायें एवं बिल भुगतान हेतु प्रेषित करें।
3. श्री मनीष पन्त आई0टी0 को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा सूचना को नगर निगम देहरादून की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
4. कार्यालय प्रति।

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

विवरण पुस्तिका/प्रस्तावित शर्ते/नियमावली

नगर निगम देहरादून द्वारा निर्मित दून यूनिवर्सिटी रोड केदारपुरम् व्यवसायिक योजना, के अन्तर्गत नगर निगम देहरादून द्वारा निर्मित दुकानों की प्रीमियम नीलामी हेतु।

1. **योजना का नामः–** केदारपुरम् व्यवसायिक योजना, नगर निगम, देहरादून द्वारा निर्मित दुकानों के प्रीमियम नीलामी हेतु पंजीकरण।
2. **योजना का विवरणः–**

   2.1 योजना क्षेत्र की स्थिति–वित्त पोषित केदारपुरम् व्यवसायिक योजना, दून यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित है।

   2.2 उक्त योजना नगर निगम देहरादून के स्वामित्व/प्रबन्धन भूमि पर निर्मित है। दुकानों का निर्माण बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार हेतु एक स्वच्छ खुला, समुचित पार्किंग सहित, सुगम आवागमन से युक्त, प्रदूषण मुक्त, आदर्श प्रकार के व्यवसायिक काम्पलैक्स में स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। उक्त के विकसित होने से केदारपुरम् पर एक अच्छे, विविध प्रकार की दुकानों से युक्त एक एकीकृत मार्केटिंग काम्पलैक्स की सुविधा आम नागरिकों को प्राप्त होगी। उक्त योजना के अन्तर्गत विभिन्न 8.5 फिट ग 10 फिट की 8 दुकाने भू–तल निर्मित की गयी है।
3. **दुकानों का मूल्यः–**केदारपुरम् व्यवसायिक योजना के अन्तर्गत, निर्मित दुकानों का रिर्जव प्रीमियम/मासिक किराया जो कि स्थानीय नागरिक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति/नगर निगम द्वारा मूल्यांकित कर निर्धारित किया गया है, प्रपत्र–2 दुकानवार दर्शित है, उक्त रिर्जव लागत से कम पर सम्पत्ति का आबंटन नही किया जायेगा। प्रपत्र–2 में अंकित पंजीकरण राशी, रिजर्व मूल्य का 3 प्रतिशत है।
4. **किरायाः–** उच्चतम् बोलीदाता/आबंटी द्वारा मासिक किराया देय होगा जो प्रपत्र–2 में अंकित है। किराया कब्जा प्राप्त होने की तिथि से देय होगा, किराये में प्रति 2 वर्ष के उपरान्त 10 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
5. **पंजीकरण धनराशिः–**प्रपत्र–2 में दुकानवार पंजीकरण राशि प्रदर्शित है जो आवेदन पत्र के साथ देय है।
6. **भुगतान योजनाः–**उच्चतम् बोलीदाता/आबंटी के द्वारा 10 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क से शेष बची धनराशि अर्थात 90 प्रतिशत तीन माह के अन्दर नगर निगम कार्यालय में जमा करनी होगी।
7. **दण्ड ब्याजः–** उच्चतम् बोलीदाता/आबंटी के द्वारा निर्धारित तिथि तक किराये का भुगतान न करने पर 18 प्रतिशत वार्षिक दण्ड ब्याज के रूप में देना होगा। तीन माह तक लगातार किराया जमा न करने की दशा में नगर निगम, देहरादून को यह अधिकार होगा कि वह किया गया आबंटन निरस्त करते हुए बकाया पर 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली हेतु वैधानिक कार्यवाही करे।
8. **पात्रताः–**

   (क) आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो (साक्ष्य प्रस्तु करना अनिवार्य।

(ख) एक व्यक्ति/आवेदक का परिवार मात्र एक दुकान प्राप्त करने का पात्र होगा। एक व्यक्ति का परिवार जिसमें उस व्यक्ति के अतिरिक्त उसकी पत्नी/पति तथा उस पर आश्रित पुत्र/पुत्रियां सम्मिलित है।

9. **आवेदन कैसे करें:–** केदारपुरम् व्यवसायिक योजना, देहरादून के अन्तर्गत किये जा रहे निर्माण में से दुकानों का आबंटन प्रीमियम की नीलामी पद्धति से निविदा के आधार पर किया जायेगा।

आवेदन प्रपत्र नगर निगम देहरादून में उपलब्ध होगा। आवेदन पत्र का मूल्य रू0–500/– 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 अतिरिक्त होगा। आवेदन पत्र विधिवत् रूप से पूर्ण सूचना सहित व हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। विधिवत् रूप से भरे हुए आवेदन पत्र को प्रपत्र–2 में अंकित पंजीकरण राशी जो नगर निगम देहरादून के नाम ड्राफ्ट अथवा नगद जमा कराना होगा। अपूर्ण आवेदन निरस्त किये जायेंगे। आवेदन पत्र–1 के साथ पंजीकरण धनराशि नगर निगम में निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा कराया जा सकता है। आवेदन पत्र दस्ती रूप में जमा कराया जा सकेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा। केवल अधिकतम् बोली से ही किसी व्यक्ति के सफल होने की घोषणा नही की जा सकेगी, व्यक्ति को अन्तिम आबंटन का अधिकार तक तक प्राप्त नही होगा जब तक पूर्ण देयता समाप्त न हो जाये। पूर्ण आबंटन तभी माना जायेगा जब पंजीकृत इच्छुक क्रेता नगर निगम की ओर से अन्तिम आबंटन पत्र प्राप्त न कर ले और उसकी सभी औपचारिकतायें पूरी न कर ले।

9.1 आवेदन के साथ जमा करने हेतु अभिलेख

(क) आवेदन पत्र भाग–1

(ख) निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र रू0–10 के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर।

(ग) पंजीकरण धनराशि।

10. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं धनराशि वापसी:–

10.1 उच्चतम् बोलीदाता/आबंटी के द्वारा 3 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क के पश्चात सम्पूर्ण धनराशि अर्थात निविदादाता द्वारा भरी गयी उच्चतम् धनराशि 100 प्रतिशत तीन माह में अथवा एक मुश्त नगर निगम कार्यालय में जमा करानी होगी।

10.2 पूर्ण निर्धारित धनराशि तीन माह में जमा न कराने की दशा में नगर निगम देहरादून को यह अधिकार होगा कि वह किया गया तदर्थ आबंटन निरस्त करते हुए पुनः निविदा आमंत्रण की कार्यवाही करे।

10.3 आबंटी द्वारा दुकान का कब्जा लेने के उपरान्त दुकान का किराया या अन्य विधिक देयकों का भुगतान न करने पर एवं शर्तो के उल्लंघन पर नगर निगम द्वारा तक जमा धनराशि को जब्त करने के साथ–साथ निरस्तीकरण की कार्यवाही करते हुए दुकान का कब्जा नगर निगम द्वारा ले लिया जायेगा।

10.4 आबंटन पत्र/कब्जा अधिपत्र की तिथि से तीन माह में कब्जा प्राप्त न करने पर आबंटन/पंजीकरण स्वतः निरस्त समझा जायेगा एवं जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

11. **मिथ्या आवेदन एवं तथ्यों को छुपाना:–** यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनायें दी गयी है अथवा उसने किन्ही वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तो पंजीकरण के

साथ–साथ सम्पत्ति का आरक्षण/आबंटन आवेदन को बिना बताये निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे भविष्य में होने वाली नीलामी में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा एवं उसके द्वारा जमा की गयी पंजीकरण धनराशि तथा उस पर अर्जित ब्याज जब्त कर लिया जायेगा यदि उसने आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से प्रीमियम धनराशि का भुगतान कर लिया है तो उसके द्वारा जमा की गयी पंजीकरण धनराशि और उससे अर्जित ब्याज को छोड़कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

12. आबंटन/नीलामी प्रक्रियाः–

12.1 आबंटन प्रीमियम नीलामी पद्धति द्वारा निविदा के आधार पर किया जायेगा।

12.2 आरक्षित प्रीमियम से कम पर निविदा स्वीकार नही की जायेगी।

12.3 अपूर्ण/अधूरे आवेदन स्वीकार नही किये जायेगें। सील्ड लिफाफे पर दुकान सं0 एवं योजना का नाम अंकित कर जमा करवायें।

13. असफल आवेदकः–नीलामी प्रक्रिया में असफल आवेदक अपनी पंजीकरण धनराशि वापसी हेतु आवेदन पंजीकरण फार्म के साथ पंजीकरण की जमा रसीद प्रस्तुत करते हुए नगर निगम देहरादून के नगर आयुक्त के समक्ष 30 दिन के अन्दर प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकते है। आवेदक द्वारा जमा पंजीकरण धनराशि वापस न प्राप्त करने की स्थिति में नगर निगम कोई ब्याज नही दिया जायेगा।

14. कब्जाः–आबंटी/बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा किये जाने पर आबंटी द्वारा आबंटन पत्र के अनुसार पूर्ण धनराशि एवं 30 वर्ष के लिये किराया अनुबन्ध निष्पादित करने पर दुकान का कब्जा नगर निगम द्वारा दे दिया जायेगा। किराया अनुबन्ध आबंटी/बोलीदाता द्वारा दी गयी धनराशि के आधार पर किया जायेगा।

15. दुरूपयोग/परिवर्धन/परिर्वतनः–यह नीलामी केवल भू–तल से सम्बन्धित दुकानों के लिये ही है अर्थात प्रथम तल, सामुदायिक सुविधाओं, खुला क्षेत्र, सीढ़िया, गैलरी बरामदा, पार्किंग आदि। दुकानों के अतिरिक्त समस्त पर स्वामित्व नगर निगम, देहरादून का ही रहेगा तथा यह सार्वजनिक उपयोग का क्षेत्र रहेगा। इस पर किसी प्रकार से दुकानदार/दुकानदारों का भौतिक अथवा वैधानिक स्वामित्व नही होगा तथा इनका वयक्तिगत् प्रयोग भी वर्जित रहेगा। बोलीदाता जिस किसी दुकान दुकान की भी अधिकतम् बोली लगायेगा, नियमानुसार उसे दुकान आबंटित किये जाने सम्बन्धी स्वीकृति दी जायेगी, आबंटी केवल उसी दुकान का प्रयोग अपने प्रयोजनार्थ कर सकता है। प्रथम तल पर किसी प्रकार का स्वामित्व नही होगा एवं प्रथम तल नगर निगम की सम्पत्ति होगी।

16. अधिकतम् बोलीदाता जिसको दुकान आबंटित की जायेगी, वह दुकान में किसी प्रकार का विभाजन नही करेगा और यदि उसके द्वारा विभाजन किया जाता है तो नगर निगम देहरादून को उसके आबंटन को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

17. उक्त के अन्तर्गत दुकानों के आबंटन के पांच वर्ष पश्चात किराये को हस्तान्तरणीय बनाया जाना प्रस्तावित है। जिसके अनुसार हस्तान्तरित करने वाले व्यक्ति के द्वारा प्रचलित सर्किल रेट का 50 प्रतिशत नगर निगम कोष में जमा कराया जाना प्रस्तावित है। तदोपरान्त ही हस्तान्तरण अभिलेख त्रिपक्षीय निष्पादन कि कार्यवाही की जायेगी। उक्त के उपरान्त जब–जब आबंटी द्वारा हस्तान्तरण किया जायेगा, उक्त समय 25 प्रतिशत किराया वृद्धि की जायेगी।

18. अनुमन्य व्यापार का प्रकारः—संगठित विकास योजना के अन्तर्गत प्रदूषण बढ़ाने वाले तथा आम नागरिकों, महिलाओं व बच्चों को आपत्तिजनक लगने वाले निम्नलिखित व्यवसायों हेतु दुकान आबंटन किया जाना अनुमन्य नही होगा।

18.1 सीमेन्ट, निर्माण सामग्री आदि का गोदाम।

18.2 ऑयल, ल्यूब्रीकेन्ट, ग्रीस आदि।

18.3 स्कूटर, कार आदि की रिपेयर हेतु वर्कशॉप।

18.4 किसी भी प्रकार की मीट, मुर्गी पालन, मांसाहार क्रय विक्रय आदि।

18.5 एक्सप्लोसिव सम्बन्धी आपत्तिजनक सामग्री।

18.6 मदिरा तथा नसीले पदार्थो का व्यापार।

18.7 कबाड़ी का कार्य।

18.8 अन्य कार्य जो शासन द्वारा बिना लाईसेन्स के प्रतिबन्धित किये गये है।

प्रपत्र–2

केदारपुरम् व्यवसायिक योजना के अन्तर्गत भू–तल पर निर्मित दुकानों का विवरण

दुकान नं0	लम्बाई फिट में	चौड़ाई फिट में	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	मासिक किराया	पंजीकरण धनराशि	प्रीमियम की धनराशि
01	10 फिट	8.5 फिट	7.89 व0मी0	1169 जी0एस0टी0 अतिरिक्त	19545	6,51,484
02	10 फिट	8.5 फिट	7.89 व0मी0	1169 जी0एस0टी0 अतिरिक्त	19545	6,51,484
03	10 फिट	8.5 फिट	7.89 व0मी0	1169 जी0एस0टी0 अतिरिक्त	19545	6,51,484
04	10 फिट	8.5 फिट	7.89 व0मी0	1169 जी0एस0टी0 अतिरिक्त	19545	6,51,484
05	10 फिट	8.5 फिट	7.89 व0मी0	1169 जी0एस0टी0 अतिरिक्त	19545	6,51,484
06	10 फिट	8.5 फिट	7.89 व0मी0	1169 जी0एस0टी0 अतिरिक्त	19545	6,51,484
07	10 फिट	8.5 फिट	7.89 व0मी0	1169 जी0एस0टी0 अतिरिक्त	19545	6,51,484
08	10 फिट	8.5 फिट	7.89 व0मी0	1169 जी0एस0टी0 अतिरिक्त	19545	6,51,484

(केवल कार्यालय के लिये)

शपथनामा

नगर आयुक्त
नगर निगम, देहरादून।

नाम श्री/श्रीमती/कुमारी ....
....
पिता/पति का नाम ....
व्यवसाय का विवरण ....
....पूर्ण पता ....
....
आयु ....
मै .... सशपथ निम्नलिखित बयान करता/करती हूँ।

1. यह कि मैने केदारपुरम् व्यवसायिक योजना के अन्तर्गत दुकान सं0 .... भू–तल के आबंटन के लिये प्रार्थना पत्र दिनांक .... मय वांछित अग्रिम धनराशि रू0 .... नगद/ड्राफ्ट सं0 .... बैक का नाम .... दिनांक ....जमा किया है।
2. यह कि प्रस्तावित दुकान में होने वाला व्यवसाय जो नियमावली में प्रतिबन्धित हो नही करूंगा/करूंगी।
3. यह कि मै बालिग हूँ तथा मेरी आयु 18 वर्ष से कम नही है। (प्रमाण पत्र संलग्न)
4. अ–यह कि मै प्रार्थना पत्र अपने लिये दे रहा/रही हूँ और इसमे किसी प्रकार बेनामी अधिकार शामिल नही है।

   ब–यह कि कर दाता हूँ/नही हूँ इनकम टैक्स परमानेन्ट एकाउन्ट नं0 .... है तथा वित्तीय वर्ष .... को मेरी वार्षिक आय रू0–................................ है।
5. यह कि मै प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा किसी प्रकार से उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन करने पर अथवा किश्तों/किराये के शेष रह जाने पर नगर आयुक्त/अनुश्रवण समिति को यह आबंटन समाप्त करने का पूर्ण अधिकार है।
6. यह कि यदि समिति द्वारा दुकान आबंटित होने पर मुझसे मांगा गया रूपया जमा न करू अथवा दुकान का अनुबन्ध पत्र न कराऊं अथवा निर्धारित तिथि पर दुकान का कब्जा न लूँ, अथवा समिति द्वारा की गयी किसी भी शर्त अथवा नियम का उल्लंघन करूँ तो मेरे द्वारा जमा किये गये समस्त धन को उपरोक्त विवरण के अनुसार समिति जब्त करके दुकान तदर्थ आबंटन रद्द कर सकती है तथा दुकान पर अपना कब्जा प्राप्त कर सकती है।

शपथकर्ता